एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 4636/2000

13.3.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री एस.एस.राघव, अधिवक्ता याची।
श्री बी.एन.सान्दू, अधिवक्ता अयाचीगण।

इस प्रकरण में याची ने अयाचीगण के आदेश दिनांक 7.6.2000 को चुनौती दी है। याची को अयाचीगण की ओर से एक एस.टी.डी./पी.सी.ओ. बूथ का आवंटन दिनांक 9.6.94 को किया था। याची द्वारा देय राशि का समय पर भुगतान नहीं करने के कारण अयाचीगण ने उसके एस.टी.डी./पी.सी.ओ. का दिनांक 28.1.99 को सम्बन्ध विच्छेद कर दिया था। याची का कथन है कि उसके द्वारा समय समय पर अयाचीगण को देय न्यूनतम बिजनिस गारन्टी की राशि 20761/- रुपये का भुगतान कर दिया था परन्तु अयाची ने अपने प्रत्युतर में यह कथन किया है कि याची सदैव ही विलम्ब से बिलों का भुगतान करता रहा है तथा लम्बे समय तक विभाग की ओर से उनके द्वारा सम्मिलित की गयी राशि को अपने पास रखता रहा है। उसकी स्थिति विभाग के अभिकर्ता के रुप में थी जिसे मात्र कुछ प्रतिशत राशि कमीशन के रुप में देय थी तथा शेष राशि विभाग को दी जानी थी।

इस प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस रिट याचिका में तथ्य सम्बन्धी विवाद उठाये गये हैं, जिनका निस्तारण बिना साक्ष्य के नहीं किया जा सकता। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, 1985 की धारा 7अ में ऐसे विवाद को मध्यस्थ निस्तारण हेतु प्रेषित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अत: यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि

याची छः सप्ताह की अवधि में अयाची संख्या 2 को एक आवेदनपत्र उसके द्वारा उठाये गये विवाद को मध्यस्थ निर्णय हेतु प्रेषित किये जाने के लिये प्रस्तुत करेगा तथा अयाची संख्या 2 ऐसे आवेदनपत्र की प्राप्ति से दो सप्ताह के अन्दर उसे मध्यस्थ के समक्ष निर्णय हेतु प्रेषित करेंगे। यह अपेक्षा की जाती है कि इस विवाद के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मध्यस्थ अपना निर्णय विधि अनुसार शीघ्रातिशीघ्र देंगे।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति